



उ० प्र० पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन (वि०), लखनऊ

Email id: cpftrust.2004@gmail.com

Website- www.uppst.org

पत्र सं० 743/14/अ०भ०नि० ट्रस्ट/सामान्य आदेश/01/TC-1

दिनांक:- 10/5/2024

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की दिनांक 26.03.2024 को सम्पन्न 18वीं बैठक में 5 वर्ष से कम सेवा-अवधि वाले कार्मिकों (सेवानिवृत्ति/मृत्यु/Medical Grounds पर सेवा समाप्ति को छोड़कर) के सी०पी०एफ० खातों के सापेक्ष नियोक्ता अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज का भुगतान न किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के दृष्टिगत बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में सी०पी०एफ० खातों के अन्तिमीकरण की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज
की आज्ञा से

पत्र सं० 743/14/अ०भ०नि० ट्रस्ट/सामान्य आदेश/01/TC-1 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. लेखाधिकारी (सी०पी०एफ०/के०भु०प्र०), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०/केस्को, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
2. समस्त लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।


(एस०के० अवस्थी)
सचिव (ट्रस्ट)